ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-4* Issue-10* November- 2019
Innovation The Research Concept

उच्च शिक्षा, उद्यमिता एवम् महिला सशक्तिकरण
Higher Education, Enterpreneurship and Empowerment of Women

सोनिया बिन्द्रा
प्रभारी एवं वरष्ठि प्रवक्ता,
संगीत विभाग,
एन0के0बी0एम0जी0 डग्री कॉलेज,
चन्दौसी, मुरादाबाद,
उ0प्र0, भारत

सारांश

स्त्री शिक्षा प्रत्येक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारतीय सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिये तो यह अत्यन्त आवश्यक है केवल स्त्री शिक्षा में ही पारिवारिक जीवन आनन्दपूर्ण हो सकता है। स्वच्छता की स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। सन्तानोत्पत्ति में कमी हो सकती है। उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक विकास हो सकता है। कोठारी आयोग ने ठीक ही कहा है कि ''मानवीय साधनों के सम्पूर्ण विकास के लिए, परिवारों के सुधार के लिए शिशु अवस्था के प्रभावशाली वर्षा में बच्चों के चरित्र निर्माण के लिये पुरूष की अपेक्षा नारियों की शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है।'' पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी स्त्री शिक्षा पर बल देते हुये कहा है कि ''लड़के की शिक्षा केवल एक ही व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा होती है।''

मुख्य शब्द :

प्रस्तावना

नेपोलियन ने कहा था– ''मुझे शिक्षित मातायें दो, मैं एक सुनिश्चित राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा''।

अंग्रेजी की एक लोकोक्ति है कि ''वे हाथ जो झूला झुलाते है संसार पर शासन करने की शक्ति रखते है।'' स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में यह लोकोक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि हमें भावी पीढ़ी को शिक्षित करना हो तो हमें नारियों को उचित शिक्षा देकर सशक्त करना होगा।

वैदिक काल में मैत्री, गार्गी, लोपा, मुद्रा आदि विख्यात नारियों ने स्वयं वैदिक गाथाओं (ग्रन्थों) की रचना करके प्राचीन नारी इतिहास को सशक्त किया है।

बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने नारियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी थी। कई नारियाँ बौद्ध धर्म एवं दर्शन की आजीवन छात्राएं बन गई थी, सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा बौध धर्म का प्रचार करने लंका गई। सुभा, अनुपमा एवं सुमेधा बौद्ध धर्म के प्रचार की महान नेता थी। विजयांक की कवित्व प्रतिभा कालीदास की कवित्व प्रतिभा से कम नहीं थी। सन्तवाहन परिवार की रानी नपसिका कुशल राज्य प्रशासन के लिये विख्यात थी।

मध्यकाल मुस्लिम युग

भारत में मुस्लिम शासन काल में पर्दा प्रथा मुसलमानों तथा हिन्दुओं में प्रचलित थी। परन्तु शाही घरानों तथा अमीर परिवार की स्त्रियों के लिये शिक्षा की व्यवस्था अवश्य थी। यही कारण था कि कुछ महिलायें गुलबदन बेगम,सलमा सुल्ताना, नूरजहाँ, मुमताज महल, जहाँआरा, बेगम जेब–उ–निस्सा उच्च शिक्षा सम्पन्न थी।

अंग्रेजी काल–1854 से 1882 तक

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपना शासन स्थापित किया, कम्पनी सरकार ने नारी शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव ही दिखाया इसमें लड़कियों के लिये अलग से शिक्षण संस्थायें नहीं थी। प्रोटैस्टेंट मिशनरियों तथा कैथोलिक मिशनरियों ने नारी शिक्षा के प्रसार के कुछ प्रयास अवश्य ही किये। 1854 के शिक्षा परिपत्र के अनुसार मद्रंस में लड़कियों के स्कूल की संख्या 258, बम्बई में 65, बंगाल में 288, और उत्तर पश्चिमी प्रान्तों में 17 थी। सन् 1882 तक लड़कियों के लिये 2600 प्राइमरी स्कूल, 81 सैकण्डरी स्कूल, 15 शिक्षण संस्थायें और एक कालेज स्थापित हो चुके थे।

सन 1882 से 1902 तक

हण्टर आयोग ने सुझाव दिया कि पब्लिक फण्ड का अधिकांश भाग नारी शिक्षा में आना चाहिये। इसके अतिरिक्त ब्रहम समाजी, पारसियों तथा

भारतीय ईसाइयों में भी लड़कियों के लिये स्कूल खोलने की होड़ सी लगा दी। परिणामस्वरूप 1902 के अन्त में 12 स्त्री कालेज, 468 सैकण्ड्री स्कूल, 5650 प्राइमरी स्कूल तथा 45 प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित हो चुके थे। जिसमें 76 नारियों के लिए मेडिकल कालेज व 166 मैडिकल स्कूल थे।

सन् 1902 से 1917 तक

इस काल में नारी शिक्षा के सभी स्तरों में विशेष प्रगति हुई। 1916 में नारियों के लिये पहला मेडिकल कालेज, लेडी हार्डिंग कालेज, दिल्ली तथा महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई 1917 में श्रीमति ऐनी वैसेन्ट की अध्यक्षता में भारतीय महिला संगठन की स्थापना हुई।

सन् 1914 से 1947 तक

इस काल में नारी शिक्षा ने पर्याप्त उन्नति की। महात्मा गांधी की शिक्षाओं भारतीय नारी में जाग्रति, वैवाहिक अवस्था में सुधार तथा प्रान्ती स्वायत्ता (1937) के कारण नारी शिक्षा के लिये उपयोगी स्थितियाँ पैदा हो गई। 1946–47 में लड़कियों के लिये शिक्षण संस्थायें इस प्रकार थी 21479 प्राइमरी स्कूल, 8370 सैकेण्ड्री स्कूल, 4288 व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थायें 59 आर्टस और विज्ञान कालेजं। 1947 में 50 प्रतिशत लडकियां समिति स्कूलों में भी शिक्षा प्राप्त कर रहीं थी।

नारी शिक्षा के विस्तार के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम

1. प्रान्तीय शिक्षा निदेशालय में नारी शिक्षा कार्यक्रम की देखभाल करने के लिये एक पृथक विभाग की स्थापना।
2. लड़कियों के लिये पॉलिटैक्नीकल संस्थाओं की व्यवस्था।
3. देहाती इलाकों में अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था करना।
4. संयुक्त शिक्षा कोर्स की स्थापना।
5. नारी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को सहायता देना।
6. नारी शिक्षा की संस्थाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए विभिन्न प्रान्तों में सम्मेलन आयोजित करना।

स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सुविधा कुछ मुख्य सुझाव

1. जीवन सम्बन्धी सुविधा की व्यवस्था।
2. शिक्षा सम्बन्धी अवसरों में वृद्धि।
3. बौद्धिकपूर्ण शैक्षिक निदेशन।
4. शिक्षा में सामान्य तत्व।
5. कालेजों के कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सामान्य स्थान पा सकें।
6. गृह अर्थशास्त्र एवं गृह प्रबन्ध का अध्ययन।
7. समिति कालेजों में शिष्टाचार एवं रासायनिक दायित्व पर बल।
8. समान वेतन।
9. वास्तविक अर्थों में सहशिक्षा संस्थायें।

भारत सरकार ने भी अनेक समितियां तथा आयोगों का गठन करके नारी उच्च शिक्षा के लिये विशेष कदम उठाये है जिनमें से कुछ के सुझाव निम्न हैः–

राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा कमेटी के सुझाव

सन् 1958 में श्रीमति दुर्गा बाई देशमुख की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसकी रिपोर्ट में निम्न सुझाव दिये।

1. नारी एवं पुरूष की शिक्षा में विद्यमान खाई को समाप्त करना।
2. राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की स्थापना।
3. भारतीय नारी शिक्षा परिषद की स्थापना।
4. नारी शक्ति की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना।
5. सहयोग सरंक्षण के लिये संगठनों का सहयोग।
6. लड़कियों का सार्वजनिक दाखिला।
7. ऐच्छिक संगठनों की सहायता।
8. प्रचार कार्यक्रमों को सशक्त करना।
9. संयुक्त कोर्सो को सशक्त करना।
10. लड़कियों के लिये तकनीकी संस्थाओं की स्थापना करना।
11. केन्द्रीय परिषद शिक्षा बोर्ड द्वारा सुझाये गये कार्यक्रमों को आरम्भ करना।
12. पिछड़े हुये अलग अलग इलाकों के लिये सुविधायें प्रदान करना।
13. सेमीनार संगठित करना।
14. छात्रवृत्ति प्रदान करना।
15. सह शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय स्त्री–शिक्षा परिषद

शिक्षा मन्त्रालय ने 1964 में राष्ट्रीय स्त्री परिषद की स्थापना की। अध्यक्ष सचिव के अलावा इसके 27 सदस्य है। एस0एन0 मुखर्जी ने अपनी रचना Education in India Today and tomorrow में परिषद के निम्न कार्यों का उल्लेख किया है।

1. स्कूल स्तर पर लड़कियों की तथा प्रौढ़ नारियों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।
2. नारी शिक्षा के सुधार एवं विस्तार सम्बन्धी नीतियों, लक्ष्यों कार्यक्रमों तथा प्राथमिक तत्वों का सुझाव देना।
3. लड़कियों एवं नारियों की शिक्षा में सर्वात्तम ऐच्छिक प्रथाओं के प्रयोग के साधन बनाना।
4. नारी शिक्षा के सम्बन्ध में जनता को सुशिक्षित करने के लक्ष्य बताना।
5. समय–समय पर उपलब्धियों के मूल्यांकन का सुझाव देना।
6. नारी शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के विशिष्ट आकड़े एकत्रित करना व अनुसंधान का सुझाव देना।

स्त्री शिक्षा पर श्रीमति हंस मेहता कमेटी कु सुझाव

1. प्रारम्भिक स्तर पर सह शिक्षा का ढांचा अपनाना।
2. सशक्त शिक्षात्मक प्रचार करना।
3. सेकेण्डरी एवं कालेज स्तरों पर प्रबन्धकों को स्वतन्त्रता।
4. अध्यापिकाओं की नियुक्ति।

कोठारी आयोग 1964–90 के सुझाव

कोठारी आयोग ने तीनों कमेटियों (1) श्रीमति दुर्गा दाई देशमुख की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय नारी शिक्षा कमेटी (2) श्रीमति हंस मेहता कमेटी (3) भक्त

वत्सल्य कमेटी के सुझावों का समर्थन किया। नारियों की शिक्षा को विकसित करने के लिये आयोग ने निम्न कार्य–विधि सुझाव दिये है–

1. राष्ट्रीय नारी शिक्षा कमेटी द्वारा सुझाये गये विशिष्ट कार्यक्रमों पर बल दिया जाना चाहिए।
2. इस बात पर ध्यान देना कि सभी स्तरों पर नारी शिक्षा के प्रचार एवं विकास के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाये।

विश्वविघालय एवं उच्च शिक्षा स्तर पर नारी शिक्षा

1. छात्राओं के अनुपात वृद्धि– इस समय उच्च शिक्षा में पुरूषोत्तम नारियों में 1:4 का अनुपात है व किन क्षेत्रों में शिक्षित नारियां की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह अनुपात बढ़कर 1:3 हो जाना चाहिये।
2. अण्डर ग्रजुयेट स्तर पर पृथक कालेज की स्थापना।
3. नारियों को कला, विज्ञान, टेक्नालोजी आदि कोर्सो को चुनने में स्वतन्त्रता होनी चाहिये। गृह विज्ञान, नार्सिंग, शिक्षा, सामाजिक कार्य आदि विषयों की ओर आकर्षित होती है।
4. अनुसंधान विभाग विश्वविद्यालय स्तर पर नारी शिक्षा सम्बन्धी स्थापित करने चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1964) तथा शैक्षिक अवसरों की समानता

समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिये सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करने चाहिये वरन् ऐसी व्यवस्था भी होनी आवश्यक है जिसमें सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिले। शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन करने के लिये साधन के रूप में किया जायेगा। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संशोधित कार्यवाही योजना 1992 में महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई हो क्योंकि यह समानता के लिये एक कारक है साथ ही इसका आर्थिक महत्व है शिक्षा महिला के विकास का और उसे सशक्त करने का एक प्रमुख कारक है।

वर्ष 1992–93 के दौरान कुल नामांकन के अनुपात में लड़कियों का नामांकन प्राथमिक स्तर पर 43/मिडल स्तर पर 39/माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 34/डिग्री स्तर के नीचे के उच्च स्तरों पर 18/तथा उच्च शिक्षा स्तर पर 33/हो गया है। जो महिला सशक्तीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय को लैगिंक समानता, महिलाओं को स्वावलम्बन बालिका शिक्षा, जनसंख्या सम्बन्धी मानवाधिकार, सामाजिक शोषण आदि के क्षेत्र में शोध योजनायें प्रारम्भ करने के लिये सहायता प्रदान कर रहा है। साथ ही सामाजिक तथा शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण साधन के साथ में अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा महिला अध्ययन केन्द्र/सेल स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता दे रहा है।

स्त्री उच्च शिक्षा तथा विभिन्न आयोग व सिफारिश समितियां

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)
2. राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय समिति (1958)
3. स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद (1959)
4. हन्सा मेहता समिति (1962)
5. भक्त वत्सल्य समिति (1963)
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
7. कोठारी आयोग (1964–66)

महिलाओं की समानता के लिये शिक्षा

स्वतन्त्रता के समय से ही महिलाओं को शिक्षा के अवसरों की उपलब्धि कराना एवं महत्वपूर्ण कार्य रह रहे है। 1951 में महिलायें की साक्षरता का प्रतिशत 7.93 से 1981 में 24.82, 1991 में 32.42 हो गया है।

सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये जाये कि महिलायें और सशक्त हो जाये

1. महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन व सशक्त करने हेतु शिक्षा का प्रयोग किया जायेगा।
2. विभिन्न पाठक्रमों के भाग के रूप में वूमेन स्टडीज को प्रतिपारित किया जायेगा।
3. बालिकाओं के लिये आवश्यक शिक्षा अभियान चलाया जाये।
4. 33/आरक्षण प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया जाये।
5. स्त्रियों के प्रति अपराध करने वाले अपराधियों को तुरन्त तथा सख्त सजा दी जाये।
6. स्त्री हेल्प डेस्क की स्थापना प्रत्येक राज्य, जिला, तथा तालुक स्तर पर की जाये।
7. उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदार को आवश्यक बनाया जाये।
8. महिला आयोग को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये गये।

शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। और उच्च शिक्षा, शिक्षा की एक सर्वोतम उपलब्धि है जिसके माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण का विकास सम्भव है यदि समाज में महिलाओं का सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास करना है तो उसके लिये महिलाओं को शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार आवश्यक है। शिक्षा में भी महिलाओं को उच्च शिक्षा में विधिक शिक्षा का अध्ययन एवं अध्यापन यान्त्रिकी शिक्षा चिकित्सीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आवश्यक है। जो महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यो में सहयोग देकर एक शक्ति के रूप में उभार सकती है। अभी तक महिलाओं को प्रवेश शिक्षा के माध्यम से ही देश के हर क्षेत्र में सहयोग मात्र है।

अब स्त्रियों का प्रवेश सेना, वैज्ञानिक, पायलट, एयरहॉस्टेस, राजनीतिक, चिकित्सा, पुलिस, प्रशासन, सांस्कृतिक, विज्ञान, शैक्षिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में सम्भव है और यह सभी तब ही सम्भव है जब स्त्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है।

यह भारतीय समाज की विडम्बना है कि वह स्त्रियों की स्थिति को कमजोर करता है तथा उसे सामाजिकता प्रदान नहीं करता है परन्तु यह सच्चाई है कि स्त्रियों को वह सम्मान समाज में नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिये।

स्त्रियों का उच्च शिक्षा के माध्यम से ही सशक्तीकरण सम्भव है ऐसा नहीं है, कुछ महिलायें समाज सेवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्त्रियों के माध्यम से भी स्त्रियों

के स्वरूप को प्रकट कर रही है। समाज में नारी को पूर्ण सम्मान देने के लियें संविधान में भी प्रावधान किया है जिससे कानून की सशक्तता से नारी के विकास का सशक्तिकरण हो रहा है।

भारत में प्रत्येक परिवार से नारी आज किसी ना किसी क्षेत्र में भागीदारी दे रही है। वास्तविकता जो ये है कि एक सभ्य समाज का निर्माण करने में महिलायें योगदान कर रही है। चाहे वह माँ बनकर, बहन बनकर या पत्नी बनकर और उच्च शिक्षा प्राप्त करके तो नारी ने हर क्षेत्र के विकास में स्वयं भी योगदान कर रही हं और यह सब बिना आरक्षण से सम्भव हो रहा है।

भारतीय कानूनों की आत्मा देश के संविधान में बसती है। जिसकी प्रस्तावना में ही ''सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय'' विधिक समानता नारी की गरिमा को सरंक्षण देने सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। नारी को समाज में और आर्थिक सशक्त करने में सहायक कुछ कानून भी बनाये गये हैं।

1 संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेध करता है।
2 अनुच्छेद 15 (1) एवंम (2) के अनुसार केवल लिंग के आधार पर अर्थात पुरूष एवं महिला होने के आधार पर कोई विभेद न किया जायेगा।
3 अनु0 16, 23, 24, तथा अनु0 42 में भी महिलाओं के लिये विशेष उपलब्ध किये गये है।
4 संयुक्त राष्ट्रीय संघ महासभा द्वारा भी महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित अनेक अभिसमय जैसे व्यक्तियों के अवैध व्यापार पर अभिसमय (1949)
i- महिलाओं पर अभिसमय 1957
ii- महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति पर अभिसमय (1979)
5 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304 (B), दहेज मृत्यु 306 आत्म हत्या का दुष्प्रेरण आदि।
6 पारिवारिक विधि में महिलाओं के पैतृक सम्पति में अधिकार। ?
7 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार।
8 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
9 कर्मचारी राज्य बीमा अधि 1948
10 प्रसूति सुविधा अधि0 1961
11 बाल विवाह प्रतिषेध अधि0
12 मेडिकल प्रोबेन्सी आर्पिनेश्न एक्ट 1971
13 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

आदि कानूनों और अधिनियमों के द्वारा थी। महिलायें उद्यमी तथा सशक्त हो रही है। परन्तु आज भी इन अधिकारों को विधिक मान्यता तो प्राप्त है लेकिन सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है जिसके पीछे समाज की मर्यादाओं तथा स्वयं महिलाओं का अपने विधिक अधिकारों के प्रति उदासीन होना महिला सशक्तिकरण के सिद्वान्त को कमजोर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों या शहर की अनपढ़ महिलाओं की बात छोड़कर भी, आधुनिक एवं पढ़ी लिखी महिलायें भी इन विधिक अधिकारों एवं कानूनों से अधिकतर अनभिज्ञ है जो महिलाओं को सशक्त होने में कमी करता है।

महिला सशक्तिकरण के सिद्वान्त को जानने के लिये ही मात्र कुछ महिलायें जो वर्तमान में आज अच्छे पदों पर क्षेत्रों में कार्य कर रहीं है। का अध्ययन ही नहीं किया जाना चाहिये अपितु देश की प्रत्येक महिला को इस सिद्वान्त को फलीभूत करने के लिये आगे आना होगा। आज माननीय राष्ट्रपति श्रीमती डा0 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मुख्यमन्त्री उ0प्र0 सुश्री मायावती, माननीय सोनिया गॉधी, मुख्यमन्त्री दिल्ली माननीया शीला दीक्षित उमा भारती, गिरिजाव्यास, सुषमा स्वराज, किरन वेदी, जय ललिता, अम्बिका सोनी, नजमा हेब्दुल्ला, सरोजनी अग्रवाल तथा महिला एवं बाल विकास मन्त्री श्रीमति रेणुका चौधरी तथा अन्य न्यायिक क्षेत्रों में पदासीन तथा इसी प्रकार उच्च क्षेत्रों में कार्यरत महिलायें भारत के उच्च शिक्षा, उद्यमी तथा महिला सशक्तिकरण के सिद्धान्त को पूरा करने में योगदान कर रहीं है। इस प्रकार हम देखते है कि भारत के संविधान में स्त्रियों को देश में समानता एवं न्याय मिले। यदि हमारे देश में एवं कुछ अन्य देशों मे महिलाओं को समाज में उनका सही स्थान दिलाने के लिये और अधिक सशक्त करने के लिये पहले संघर्ष उनके अज्ञान, असमानता एवं कुरीतियों के विरूद्ध करना होगा। यह बैर बराबरी दूर करने के लिये विशेष विवाह अधि0 1954 है) तथा अन्य अधिकारों एवं कानूनों को शक्ति से लागू किया जाये।

निष्कर्ष

आज केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के प्रति प्रयासरत है हर राज्य के प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना करके सरकार ने उच्च शिक्षा में क्षेत्र में महिलाओं के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। तथा उच्च शिक्षित तथा उद्यमी बनाने के लिये महिलाओं के सशक्तिकरण के सिद्धान्त को फलीभूत करने में योगदान किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अत्री कुमार विनोद ''भारत में शिक्षा का विकास'' पेज नं0 166 सुमित इन्टर प्राइजेज नई दिल्ली 2005
शिक्षा में नवाचार तथा आधुनिक प्रवृत्तियाँ, डा0 वीपी0 पाण्डे एवं सुधा प्रकाश एवं 2002 –401–450
डा0 श्री एल शर्मा एवं 2003 शिक्षा तथा भारतीय समान आर0लाला बुक डिपों मेरठ।
भारतीय संवैधानिक विधियां, डा0 जय नारायण पाण्डे।